कार्यालय नगर पंचायत कॉठ, जनपद– मुरादाबाद

पत्रांकः–1851/निविदा /न0प0कॉठ/2018 दिनॉक– 7-8-18

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पंचायत कॉठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि रा0वि0आ0 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से वेतन आदि वितरण के पश्चात् अवशेष धनराशि से निम्नलिखित कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निम्नलिखित कार्यो की निविदाएं अद्योहस्ताक्षरी को सम्बोधित कर दिनॉक 17.08.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक नगर पंचायत कॉठ/ उप ज़िलाधिकारी कॉठ तथा अपर ज़िलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद के कार्यालयों में रखे सीलबंद टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है जो उसी दिन सांय 4:00 बजे अपर ज़िलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 16.08.2018 की सांय 4:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय नगर पंचायत कॉठ /उपजिलाधिकारी कार्यालय कॉठ/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है । किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा । अन्य नियमो व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी www.npkanth.in पर अपलोड कर दी गई है तथा किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त की जा सकती है ।

क. सं.	कार्य का विवरण	आगणन राशि	घरोहर राशि 2%	टेण्डर शुल्क	जी0 एस0टी0 18 %	कार्य अवधि	भुगतान की स्थिति
1	नगर पंचायत कॉठ मे कैम्पस में एक स्टोर रूम व कर्मचारियों के लिये एक रूम का निर्माण ।	998000	19960	2000	360	2 माह	रा0वि0आ0
2	नगर पंचायत काठ मे रविदास मंदिर के पास गेट पर सी0सी0 टाईल्स कार्य ।	144000	2880	300	54	1 माह	रा0वि0आ0
3	नगर पंचायत कॉठ मे करन सिंह के घर के पास वार्ड न07 नरेन्द्र के प्लाट के पास वार्ड स0 08 मे हरिओम के पास , पुरानी तहसील के पास ,जगदीश के प्लाट के पास , पी0डब्ल्यू डी0 गोदाम के पास वार्ड01 में विक्रम सिंह यादव के पास , नीबहार सिंह के पास , वार्ड 02 मे खालिद हक्कानी के पास स्लैब व पुरानी तहसील के पास से राममनोहर लोहिया द्वार तक नाली निर्माण कार्य	415000	8300	830	150	1 माह	रा0वि0आ0

नोट :– नियम /शर्ते तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत कॉठ से कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है । साथ ही बेबसाइट www.npkanth.in पर भी विस्तृत विवरण , अपलोड कर दिया गया है

(राजेन्द्र कुमार)
लिपिक
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

ह0 7/08/2018
(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

Scanned by CamScanner

नियम व शर्ते :–

1– उक्त कार्यो हेतु नगर पंचायत कॉठ जनपद मुरादाबाद के पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा दे सकते है ।

2 – निविदा प्रपत्र शुल्क (जी0 एस0 टी0 सहित) तथा निविदा की 2 प्रतिशत जमानत राशि को नगर पंचायत कॉठ के प्रथमा बैंक कॉठ स्थित खाता सं0 20015001500 में चालान के माध्यम या नगद नगर पंचायत कॉठ में जमा कर जमा की रसीद टेण्डर के साथ संलग्न करनी आवश्यक है ।

3–निविदादाता को निविदा के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय फोटो नौटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा , ,जिसका प्रारूप नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त कर सकते है । यह शपथ पत्र निविदा प्रकिया का अनिवार्य अंग है तथा बिना इसके किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा

4– सशर्त कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।

5– शासनादेश संख्या 1383/9–9–14 – 84 ज /14 दिनॉक 19 नबम्बर 2014 एंव शासनादेश संख्या 120/16/2194/नौ –8– 2016– 96 ज /2015 दिनॉक 2016 का अनुसरण अतिआवश्यक है एंव इससे सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र बिड में संलग्न किये जायेगें ।

6– शासनादेश संख्या 24 पी0आई0पी0(1) /नौ –5–2017–120 बजट /2013 दिनॉक 24 अगस्त 2017 के अनुसार निर्मित की जाने वाली सडक / कार्य को निर्माण पूर्ण होने पश्चात 5 बर्ष तक अनुरक्षण /रख–रखाब की जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की होगी ।

7– निर्माण कार्य का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा ।

8– शासनादेश सं0 – 609/नौ –9–2007–249ज /06 दिनॉक 26.02.2007 के अनुसार राज्य बार कौसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा ।

9– प्रत्येक निविदा / रू दस लाख से कम लागत के कार्यो की निविदा के साथ निविदादाता को 1– हैसियत प्रमाण पत्र, 2– चरित्र प्रमाण पत्र ,3– पैन न0 ,4– जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रतियॉ ,5– ई0पी0एफ0 कोड की छायाप्रति एक लिफाफे मे रखकर एंव निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0 डी0 आर0 /डी0 डी0 की मूल प्रति एक लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम , कार्य की कम सं0 , ठेकेदार का नाम / फर्म का नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एंव मोहर लगाकर निर्धारित तिथि , दिनांक –17.08.2018 को अपरान्ह 01::00 बजे तक नगर पंचायत कॉठ मुरादाबाद कार्यालय /उप– जिलाधिकारी कॉठ कार्यालय / अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) , मुरादाबाद के कार्यालय में रखे सीलबंद बाक्स मे डालना होगा , यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नही होगी तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एंव ऐसी निविदा का संज्ञान नही लिया जायेगा । निविदा के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय फोटो नौटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा तथा ई–निविदा /निविदा के साथ अपलोड करना होगा , ,जिसका प्रारूप नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त कर सकते है । यह शपथ पत्र निविदा प्रकिया का अनिवार्य अंग है तथा बिना इसके किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा

10– निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0 – 622/23.12.2012–02 आडिट /09 टी0सी0 –2 दिनॉक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारंटी की अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा । निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

11– प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली – भॉति निरिक्षण अवश्य कर ले ।

12– नगर पंचायत कॉठ जनपद – मुरादाबाद मे वर्ष 2018–19 के लिये पंजीकृत ठेकेदार ही उक्त सभी निर्माण कार्यो की निविदायें डाल सकते है यदि कोई अपंजीकृत ठेकेदार उक्त निविदा में प्रतिभाग करता है /निविदा डालता है तो उसे अवैध मानते हुये उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा अपंजीकृत ठेकेदार की निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी ।

15 – जी0 एस0 टी0 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी प्राव्धान लागू माने जायेगें तथा नियमानुसार आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी ।

16– अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये , निविदा के किसी भी भाग अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा , इस संबंध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा ।

17– निविदा स्वीकृति उपरान्त संबधित ठेकेदार को ठेका निष्पादित/अनुबन्ध करते समय 8 प्रतिशत जमानत राशि जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ के नामें बंधक हो , जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा की स्थिति मे ठेका निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

नोट– निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति मे अगले दिवस को निविदा खोली जायेगी । रा0वि0आ0 से कराये जाने वाले कार्यो का भुगतान रा0वि0आ0 से प्राप्त धनराशि में से वेतन आदि के वितरण पश्चात् अवशेष बची धनराशि से ही किया जायेगा । इस सबध किसी भी ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नही होगा ।

(राजेन्द्र कुमार)
लिपिक
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

8/02/08/2018

(सूर्य कान्त)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

(प्रीति)
अध्यक्षा
नगर पंचायत कॉठ
मुरादाबाद

Scanned by CamScanner